

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 1455-तीब/2009 - विरुद्ध आदेश दिनांक 08-09-2008 पारित द्वारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 24/2008-09 पुर्णस्थापन

रामकृष्ण पुत्र नन्दनी प्रसाद ब्राह्मण  
ग्राम मल्देवा तहसील रामपुर नैकिन  
जिला सीधी मध्य प्रदेश

---अपीलांट

विरुद्ध

1- हनुमान प्रसाद (मृतक) पुत्र केशरीप्रसाद

वरिस

- (अ) श्रीमती देववती पत्नि स्व. हनुमान प्रसाद
- (ब) कृपाशॉकर पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद छिवेदी
- (स) वृजभूषण पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद
- (द) योगेन्द्रप्रसाद पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद
- (इ) संजयकुमार पुत्र हनुमान प्रसाद

सभी ग्राम मल्देवा तहसील रामपुर नैकिन

जिला सीधी मध्य प्रदेश

2- मध्य प्रदेश शासन

--- रिस्पाण्डेन्ट्स

(अपीलांट के अभिभाषक श्री ए०पी०तिवारी)

(रिस्पा. के सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 21 - 6 - 2017 को पारित)

यह अपील आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 24/2008-09 पुर्णस्थापन में पारित आदेश दिनांक 8-9-2009 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35(4) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।



2/ प्रकरण का सारोंश यह है कि अपीलांट ने कलेक्टर, सीधी धारा प्रकरण क्रमांक 21/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29 जनवरी, 2002 के विरुद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। निगरानी प्रकरण 292/01-02 के प्रचलन के दौरान पेशी 31 अगस्त, 2009 को अपीलांट एंव उनके अभिभाषक अनुपस्थित रहे। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने अपीलांट एंव उनके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने से आदेश दिनांक 31-8-2009 धारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35(2) के अंतर्गत निगरानी अदम पैरबी में खारिज कर दी गई। अपीलांट ने प्रकरण के पुर्णस्थापित करने हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(3) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 24/2008-09 पुर्णस्थापन में पारित आदेश दिनांक 8-9-2009 से निरस्त कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। रिस्पा० सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ अपीलांट के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि आयुक्त, रीवा संभाग के समक्ष निगरानी प्रकरण में पेशी 31-8-2009 को अपीलांट तथा अभिभाषक अनुपस्थित रहे जिसके कारण प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त हुआ, जबकि अदम पैरबी के आदेश दिनांक 31-8-2009 पर से प्रकरण पुर्णस्थापन हेतु आवेदन 1-9-2009 को प्रस्तुत कर दिया था जिसे स्वीकार करना था तथा मूल मामले का निराकरण करते हुये न्यायदान करना था, किन्तु आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 8-9-2009 से प्रकरण पुर्णस्थापित न करते हुये पुर्णस्थापन आवेदन निरस्त करने में भूल की है।

5/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 292/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-8-09 तथा प्रकरण क्रमांक 24/2008-09 पुर्णस्थापन के अवलोकन से

परिलक्षित है कि आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 292/2001-02 निगरानी को आदेश दिनांक 31-8-2009 से अदम पैरबी में निरस्त किया है तथा अपीलांट ने अभिभाषक के माध्यम से पुर्नस्थापन हेतु आवेदन 1-9-2009 अर्थात प्रकरण अदम पैरबी में खारिजी आदेश के दूसरे दिन प्रस्तुत कर दिया है। पुर्नस्थापन आवेदन का पद 3 इस प्रकार है :-

“ दिनांक 31-8-2009 को अधिकृत अधिवक्ता अन्य व्यायालय में कार्यवाही हेतु क्यस्त थे जिस कारण माननीय व्यायालय के समक्ष सहवन भूलवश अपने को उपस्थित नहीं रख पाया है जो क्षम्य किये जाने योग्य है बल्कि अपने जूनियर अभिभाषक को माननीय व्यायालय में पैरबी हेतु भेजा था किन्तु जूनियर अधिवक्ता पेशकार से मिलकर बोर्ड डायरी से पेशी जान लेने की बात समझकर वापस आ गया कुछ समय पश्चात जैसे ही पुनः व्यायालय गया तो पता चला कि प्रकरण अदम पैरबी में खारिज हो चुका है । ”

उपरोक्त से प्रतीत होता है कि दिनांक 31-8-09 को अपीलांट की ओर से नियुक्त अभिभाषक के जूनियर पर भरोसा करने तथा जूनियर द्वारा बोर्ड डायरी से आगामी पेशी लेने के भ्रम के कारण अदम पैरबी की स्थिति बनी है जिसमें अपीलांट को दोषी ठहराकर व्याय से बंचित करना उचित नहीं माना जा सकता ।

भू राजस्व संहिता, 1959 (मोप्र०) - धारा 35 (3) - राजस्व व्यायालय द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में अदम पैरबी में प्रकरण खारिज किया गया - आगामी दिन पुर्नस्थापन आवेदन आने पर पुर्नस्थापन आवेदन पोषणीय है।


मनीराम विलद्ध नजर मोहम्मद, 1962 रा०नि० 185 में क्यावस्था दी गई है कि अभिभाषक की अनुपस्थिति में अपील खारिज किये जाने पर उसके लिये पक्षकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार सुबान शाह विलद्ध मोहम्मद नासिर शाह 1995 रा०नि० 248 का दृष्टिंत है कि अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रकरण खारिज नहीं किया जाना चाहिये और पक्षकार को विधिवत् सूचना पत्र दिया जाना चाहिये।

अधिवक्ता की त्रुटि के लिये पक्षकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। विचाराधीन प्रकरण में आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने अदम पैरबी आदेश दिनांक 31-8-2009 पर से दिनांक 1-9-09 को प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन पर उक्त के

प्रकाश में परीक्षण कर प्रकरण पुर्णस्थापित न करने में भूल की है जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा क्षारा प्रकरण क्रमांक 24/2008-09 पुर्णस्थापन में पारित आदेश दिनांक 8-9-2009 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा क्षारा प्रकरण क्रमांक 24/2008-09 पुर्णस्थापन में पारित आदेश दिनांक 8-9-2009 एंव प्रकरण क्रमांक 292/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-8-2009 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा की ओर इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि प्रकरण क्रमांक 292/2001-02 निगरानी में सभी हितबद्ध पक्षकारों को गुणदोष के आधार पर श्रवण कर विधिवत् आदेश पारित करें।

✓

  
(एस०एस०आली)  
सदस्य

राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर